परियोजना – 11 सलग्नक – 21 (21)

प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मॉंग का पूर्ण औचित्य

परियोजना का नाम :– जनपद नैनीताल में राज्य योजना के अन्तर्गत मंगोली–खमारी–थापला–जलालगांव से देचोरी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

मंगोली से जलालगांव तक पूर्व मे मोटर मार्ग निर्मित है। जिसमें वाहनों का आवागमन बना हुआ है। जलालगांव से देचौरी तक वर्तमान में कोई मार्ग आवागमन हेतु निर्मित नहीं है। स्थानीय ग्रामीणों को आवागमन की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु जलालगांव से देचौरी तक 7.0 किमी0 लम्बाई में मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु शासनादेश संख्या 883/III(2)/08–66 (एम0एल0ए0)/07 दिनांक 28.03.2008 द्वारा रू0 245.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुयी है। उक्त मार्ग के निर्माण के पश्चात् ग्रामीणों को 5.0 किमी0 कम दूरी तय करनी पडेंगी। उक्त मार्ग के निर्माण में 6.05 किमी0 लम्बाई व 9.0 मी0 चौड़ाई में आरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है। उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि मार्ग निर्माण हेतु उपलब्ध नहीं है। जैसा कि पृष्ठ सं0 (12A) में संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट में भी अंकित किया गया है। प्रस्तावित संमरेखण में वृक्षों का पातन भी कम होगा तथा आरक्षित वन भूमि भी कम उपयोग होगी। इन्ही कारणों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त मार्ग के निर्माण हेतु 6.05 किमी0 लम्बाई व 9.0 मी0 चौड़ाई में वन भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव गठित किया गया है।

अपर सहायक अभियन्ता प्रा0ख0, लो0नि0वि0, नैनीताल	सहायक अभियन्ता प्रा0ख0, लो0नि0वि0, नैनीताल	अधिशासी अभियन्ता प्रा0ख0, लो0नि0वि0, नैनीताल

निरीक्षण टिप्पणी

डा0 पराग मधुकर धकाते प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग द्वारा दिनॉक 9–9 –2012 को प्रस्तावित मंगोली खमारी थापला जलालगॉव से देचोरी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.510 है0 वन भूमि प्रकरण के सम्बन्ध में निरीक्षण टिप्पणी ।

दिनॉक 9–9–2012 को विषयगत प्रस्तावित मोटर मार्ग का स्थल निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता श्री त्रिपाठी तथा वन क्षेत्राधिकारी नैना श्री पुष्कर चन्द्र जोशी के साथ किया गया । उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग **मंगोली खमारी थापला जलालगॉव से देचोरी तक** मोटर मार्ग 7 किमी0 लम्बाई जिसका कुल क्षेत्रफल **5.445 है0** है । जिसमें **नैनीताल वन प्रभाग** की आरक्षित वन भूमि **3.150** है0 तथा वन पंचायत भूमि **0.360 है0** तथा रामनगर वन प्रभाग की आरक्षित वन भूमि 1.170 है0 तथा वन पंचायत भूमि 0.765 है0 जो 9 मीटर चौडाई पर गठित किये गये थे तथा नैनीताल वन प्रभाग के अर्न्तगत वृक्षों की गणना 7 मीटर चौडाई में की गई हैं । उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग के प्रस्तावित समरेखन में आरक्षित वन भूमि में **171** वृक्ष, वन पंचायत भूमि में **68** वृक्ष तथा नाप भूमि में **9** वृक्ष कुल **248** वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं जिसमें बॉज के **1** वृक्ष प्रभावित होते हैं । अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय ख0लो0नि0वि0 नैनीताल द्वारा मौके पर अवगत कराया गया कि प्रस्तावित मार्ग के निर्माण के दौरान अपरिहार्य एंव न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा ।

उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग ग्रामों को जोडने वाला सम्पर्क मार्ग हैं । जिसे 6 मीटर चौडाई पर सीमित किये जाने पर वन भूमि तथा वृक्षों को बचाया जा सकता हैं । अतः उक्त प्रस्तावित मार्ग को 6 मीटर चौडाई पर ही निर्माण किये जाने पर यातायात पूर्णतहः सुचारू हो सकता हैं ।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल ।
पत्रॉक 35 / 13 देचोरी दिनॉक –9–2012 ।

प्रतिलिपि वन संरक्षक दक्षिणी कुमाऊ उत्तराखण्ड नैनीताल को उनके पत्रॉक 297 / 13–1 दिनॉक 27–8–2012 के कम में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 नैनीताल को उक्त दिनॉक को निरीक्षण के कम में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0
नैनीताल